

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।

अधिसूचना

पत्र संख्या- 4/सचिवा.कृ.वि.-13/2011(खण्ड)-181

/क०, पटना, दिनांक: 12.01.2015

बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 की धारा 46(4) के आलोक में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों/वैज्ञानिकों से परस्पर आमेलन हेतु अभ्यावेदन पर विचारोपरांत निम्नवत विश्वविद्यालय आवंटित किया जाता है,

| क्र०सं० | नाम                  | विश्वविद्यालय जहाँ कर्मी वर्तमान में कार्यरत है। | आवंटित विश्वविद्यालय               |
|---------|----------------------|--|------------------------------------|
| 1       | श्री उज्जवल कुमार    | राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा               | बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर     |
| 2       | डॉ. एम.पी. मंडल      | राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा               | बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर     |
| 3       | डॉ. कुमार संजीव      | राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा               | बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर     |
| 4       | श्री आर.सी. यादव     | बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर                   | राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा |
| 5       | श्री अजीत कुमार      | बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर                   | राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा |
| 6       | श्री ब्रजेश कुमार    | बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर                   | राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा |
| 7       | डॉ. मुकेश कुमार सिंह | बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर                   | राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा |
| 8       | डॉ. मनोज कुमार       | बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर                   | राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा |
| 9       | श्री संजय कुमार राय  | बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर                   | राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा |
| 10      | डॉ. सी. एस. चौधरी    | बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर                   | राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा |

2. उक्त के अतिरिक्त जो वैज्ञानिक/शैक्षणिक कर्मी जिस कृषि विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे हैं वे उसी कृषि विश्वविद्यालय की सेवा में बने रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह/०-

(त्रिपुरारि शरण)

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- 4/सचिवा.कृ.वि.-13/2011(खण्ड)- 222 /कृ0, पटना, दिनांक: 14.01.2015

प्रतिलिपि : कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15/13/01/15)  
(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्या- 4/सचिवा.कृ.वि.-13/2011(खण्ड)- 222 /कृ0, पटना, दिनांक: 14.01.2015

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के प्रधान आप्त सचिव कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई.टी. मैनेजर, कृषि विभाग को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

(15/13/01/15)  
सरकार के संयुक्त सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्या- 4/सचिवा.कृ.वि.-13/2011(खण्ड)- 222 /कृ0, पटना, दिनांक: 14.01.2015

प्रतिलिपि : अधीक्षक, सरकारी प्रेस, गुलजारबाग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई. गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को संकल्प की प्रति सी.डी. सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में संकल्प को प्रकाशित किया जाय।

(15/13/01/15)  
सरकार के संयुक्त सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।